

न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर, जिला नागौर (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री मोहन लाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी संख्या : 104/2019 (58/2019)

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
रजत मालू पुत्र ओमप्रकाश मालू जाति माहेश्वरी (महाजन) निवासी सदर बाजार, वैकटेश सत्यनारायण मंदिर के सामने, वार्ड नं. 4, डेगाना जिला नागौर बहैसियत खुद एवं बहैसियत आम मुख्यार सोहनी देवी पत्नी गंगाधर, ओमप्रकाश पुत्र गंगाधर जातियान माहेश्वरी (महाजन) निवासीगण सदर बाजार, वैकटेश सत्यनारायण मंदिर के सामने, वार्ड नं. 4 डेगाना जिला नागौर।		1अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका डेगाना। 2बालकिशन पुत्र जवाराराम 3शांतिलाल पुत्र जवाराराम जातियान ब्राह्मण निवासीगण गौरेडीचांचा, तहसील डेगाना जिला नागौर।

उपस्थिति—

1. श्री डूंगरराम चौधरी, अधिवक्ता, प्रार्थी की ओर से।
2. श्री पवन श्रीमाली, अधिवक्ता, अप्रार्थी सं. 1 की ओर से।
3. श्री ठाकुर प्रसाद राठी, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 व 3 की ओर से।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायतराज अधिनियम 1994

निर्णय

दिनांक 14.10.2021

1— प्रकरण इस प्रकार है कि प्रस्तुत निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत गोरेडीचांचा द्वारा अप्रार्थी सं. 2 बालकिशन व 3 शांतिलाल की माता श्रीमती केसर देवी के पक्ष में मिसल सं. 396/2001-02 दायर दिनांक 5.4.01 के जारी पट्टा सं. 125 दिनांक 24.12.01 को जारी किया गया, से असंतुष्ट होकर दिनांक 09.07.19 को प्रस्तुत की गई। जो इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 01.08.19 के द्वारा खारिज कर दिये जाने से प्रार्थी रजत मालू द्वारा माननीय उच्च न्यायालय मे एस.बी. सिविल रिट याचिका सं. 12602/2019 रजत मालू बनाम राज्य सरकार व अन्य प्रस्तुत की। जिसमे आदेश दिनांक 05.09.19 के द्वारा प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया गया है। जिस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र दिनांक 24.09.19 के द्वारा प्रकरण पुनः नंबर पर लिया जाकर दोनो पक्षो को तलब कर सुनवाई की गई।

2— प्रकरण मे अप्रार्थी सं. 1 की ओर से श्री पवन श्रीमाली अधिवक्ता तथा अप्रार्थी सं. 2 व 3 की ओर से श्री ठाकुर प्रसाद राठी अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रार्थी ने अपनी निगरानी के समर्थन में ग्राम पंचायत गोरेडीचांचा के पट्टा सं. 125 दिनांक 24.12.01 की फोटोप्रति, पट्टा विलेख बहक गंगाधर मालू एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शिकायत प्रार्थना पत्र की फोटोप्रति, वसीयतनामा केसर देवी बहक बालकिशन व अन्य की फोटोप्रति, मृत्यु प्रमाण पत्र केसर देवी की फोटोप्रति, बंटवाडा भूखण्ड बालकिशन एवं शांतिलाल की फोटोप्रति, प्रार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व पोस्टल ऑर्डर की फोटोप्रति, नामान्तरण हेतु प्रार्थना पत्र की फोटोप्रति, नामान्तरण कार्यवाही हेतु नगरपालिका डेगाना मे दिनांक 10.05.18 से लंबित पत्रावली की फोटोप्रति पेश की गई एवं दिनांक 29.07.19 को पत्रावली सं. 1323/2018-19 आवेदक शांतिलाल शर्मा नगरपालिका मंडल डेगाना की फोटोप्रति एवं भू खण्ड पर पहले से निर्मित कमरे की फोटो पेश की गई है जबकि अप्रार्थी द्वारा मौके की छ फोटो, बैंक खाते की डिटेल्, आधार शांतिलाल की फोटोप्रति, ग्राम पंचायत गोरेडी चांचा के पट्टा सं. 125 की फोटोप्रति, नामान्तरकरण आदेश बहक शांतिलाल द्वारा नगरपालिका डेगाना दिनांक 11.01.19 की फोटोप्रति, राशन कार्ड शांतिलाल की फोटोप्रति, नगरपालिका रसीद दिनांक 23.05.18, 04.01.19, 06.03.19, 13.05.19 व 28.06.19 की फोटोप्रतियां, राशन कार्ड बालकिशन वर्ष 1995-96 की फोटोप्रति, नगरपालिका डेगाना द्वारा आपति आमत्रण सूचना की फोटोप्रति, राशन कार्ड केसर देवी दिनांक 07.08.01 की फोटोप्रति, विद्युत बिल जवाहरलाल दिनांक 17.06.98 की फोटोप्रति, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की रसीद सं. 47 की फोटोप्रति, टेलीफोन बिल शांतिलाल शर्मा की फोटोप्रति, मौके की दो फोटो तथा नगरपालिका मंडल डेगाना से जारी निर्माण अनुमति पत्र की फोटोप्रति पेश की। अधीनस्थ ग्राम पंचायत का रेकॉर्ड मिसल सं. 396/2001-02 दायर दिनांक 5.4.01, पट्टा सं. 125 व इससे संबंधित पत्रावली अधिशाषी अधिकारी डेगाना से मंगाया गया जिन्होंने अपने पत्र क्रमांक नपा डेगाना/2019-20/1113 दिनांक 23.07.19 के द्वारा मूल पट्टा सं. 125 प्रस्तुत किया गया है तथा ग्राम पंचायत गोरेडी चांचा द्वारा पत्रावली सुपुर्द नहीं किया जाना बताया गया तथा पंचायत समिति डेगाना ने भी अपने पत्र क्रमांक 933 दिनांक 19.03.2021 के द्वारा पट्टे की प्रति उपलब्ध होना बताया तथा अन्य कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं होना बताया है।

3— वकूलाय की बहस सुनी गई। मियाद के बिन्दु पर बहस शुरू करते हुए वकील प्रार्थी का कथन रहा है कि—

1(1)—प्रार्थी को उक्त पट्टे की वास्तविक जानकारी दिनांक 24.06.19 को हुई, जब प्रार्थी के द्वारा सूचना का अधिनियम आवेदन नगर पालिका में दिया और अप्रार्थी सं. 2 व 3 की माता के नाम से जारी पट्टे की जानकारी हुई, उसी दिनांक को उक्त निगरानीधीन पट्टे की जानकारी होने से जानकारी दिनांक से प्रार्थी के द्वारा यह निगरानीधीन याचिका अंदर मियाद प्रस्तुत की गई। इस संबंध में माननीय राज. उच्च न्यायालय के द्वारा रिट याचिका सं. 365/17, अनवान प्रकाशचंद मीणा बनाम संजय भारती वगैरा में पारित आदेश दिनांक 19.01.17 के द्वारा यह स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है कि जानकारी की दिनांक से मियाद की गणना की जायेगी। प्रार्थी के द्वारा अपनी निगरानी याचिका में जानकारी का तथ्य दिनांक 24.06.19 को होना अंकित किया है तथा दिनांक 09.07.19 उक्त याचिका श्रीमान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में जानकारी की दिनांक से प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत याचिका निर्धारित समायवधि में प्रस्तुत की हुई है। इसी प्रकार माननीय राज. उच्च न्यायालय के द्वारा रिट याचिका सं. 4411/2013 अनवान प्रमोद बागरा बनाम राजस्व मंडल अजमेर व अन्य में पारित आदेश दिनांक 3.11.16 में भी 45 वर्ष पश्चात प्रस्तुत प्रकरण को जानकारी की दिनांक से मियाद में शुमार किया गया है। माननीय राज. उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह स्पष्ट सिद्धान्त प्रतिपादित किये हैं कि जहां किसी प्रकरण में मेरिट को देखा जाना आवश्यक है तथा प्रार्थी के हितों पर कुठाराघात हो रहा है, वहां पर न्यायालय मियाद के बिन्दु को नजर अंदाज करेगा तथा प्रकरण में मेरिट पर निर्णय पारित करेगा। उक्त प्रकरण में भी निगरानीधीन पट्टा प्रार्थी की पट्टासुदा भूमि पर सभी नियमों को दरकिनार करते हुए तत्कालीन सरपंच से मिली भगत करके पश्चातवर्ती तारीखों में जारी किया हुआ प्रतीत हो रहा है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रकरण अंदर मियाद शुमार किया जाना न्यायहित में आवश्यक है तथा प्रार्थी के प्रकरण को मियाद में शुमार कर निर्णय पारित किया जाना न्यायोचित है।

3— उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने पूर्व में प्रस्तुत की गई लिखित बहस एवं निगरानी में वर्णित तथ्यों को दुहराते हुए दलील दी है कि —

3(1)—प्रार्थी की पुश्तेनी जायदाद नगरपालिका क्षेत्र डेगाना में स्थित है। जो क्षेत्र पूर्व में ग्राम पंचायत गोरेडी चांचा में आता था। जहां प्रार्थी की पुश्तेनी भूमि का पट्टा विलेख प्रार्थी के दादा गंगाधर के नाम से तहसीलदार द्वारा दिनांक 24.03.53 को जारी किया गया। प्रार्थी के दादा के यहां अप्रार्थी सं. 2 व 3 की माता केसर देवी घरेलु कार्य करते रहने से उसके रहवास हेतु उक्त पट्टासुदा भूमि में से सड़क की तरफ का भूखण्ड व निर्मित कमरा रहवास हेतु दिया। जहां अप्रार्थी सं. 2 व 3 ने प्रार्थी के दादा की पट्टासुदा भूमि को हड़पने की योजना बनाकर अपनी माता केसर देवी जो उस भूमि में रह रही थी, का पट्टा बनाने के लिये तत्कालीन सरपंच से मिलीभगत कर भूमि को अपनी कब्जासुदा होना बताकर 4455 वर्गफुट भूमि का पट्टा केसर देवी के नाम से जारी करवा लिया। उक्त पट्टा प्रार्थी के दादा के नाम जारी पट्टासुदा भूमि का दुबारा पट्टा अनाधिकृत तरीके से जारी होने पर निरस्त करवाने के लिये निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3(2)—प्रार्थी की पट्टासुदा सम्पत्ति वार्ड सं. 4 डेगाना जिला नागौर में आई हुई है। जिसका पट्टा विलेख राज. पंचायत राज अधिनियम, 1959 प्रभाव में आने से पूर्व दिनांक 24.03.53 (संवत् 2009 चैत्र सुदी दशम) को प्रार्थी के दादा गंगाधर पुत्र कन्हैयालाल माहेश्वरी, निवासी डेगाना के नाम से तत्कालीन तहसीलदार मेडता के द्वारा श्रीमान जिला कलक्टर नागौर के आदेशानुसार जारी किया गया था, जिसके पट्टा सं. 302/52-53, मिसल सं. 69 हैं। उक्त पट्टे के नाप गज में दर्ज है।

3(3)—उक्त पट्टासुदा जायदाद में से प्रार्थी के दादा के द्वारा अपने जीवनकाल में पूर्वी दिशा की तरफ यानि आम रास्ता (स्टेशन जाने वाली सड़क) की तरफ मकान का निर्माण करवाया गया था तथा पश्चिम हिस्सा खाली पड़ा था, जिसे प्रार्थी के दादा ने अपने यहां काम करने वाली श्रीमती केसर देवी, जो अप्रार्थी सं. 2 व 3 की माता हैं, को रहवास हेतु दिया हुआ था। श्रीमती केसर देवी का जहां पर रहवास आया हुआ है, वहां प्रार्थी के दादा ने दो कमरे अपने मकान से अलग रहवास हेतु दिये हुए थे, जिसमें केसर देवी अपने परिवार सहित रहती थी तथा अप्रार्थी सं. 2 व 3 भी वही पर रहते थे।

3(4)—प्रार्थी के दादा गंगाधर जी जो कि डेगाना व आस पास के क्षेत्र में बहुत बड़े भामाशाह होने के कारण उनके द्वारा क्षेत्र में कई विद्यालय, अस्पताल बनवाये थे तथा उनके द्वारा ही अप्रार्थी सं. 2 व 3 की माता श्रीमती केसर देवी, जो कि प्रार्थी के दादा के यहां काम करती थी, की गरीबी अवस्था को देखते हुए उन्हें अपने स्वयं के पट्टा सुदा भूखण्ड में से कुछ हिस्सा, जिस पर कमरा निर्मित किया हुआ है, निवास हेतु दिया गया था। अप्रार्थी सं. 2 व 3 ने इसका नाजायज फायदा उठा कर प्रार्थी के दादा की पट्टा सुदा भूमि को अपनी कब्जा सुदा बताकर तत्कालीन सरपंच गोरेडी चांचा से मिली भगत करके निगरानीधीन पट्टा जारी करवा लिया, जो विधि विरुद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

3(5)—ग्राम पंचायत के द्वारा उक्त पट्टा जारी करने से पूर्व निर्धारित औपचारिकताओं का पालन नहीं किया गया। यदि ग्राम पंचायत के द्वारा निर्धारित औपचारिकताओं का पालन किया जाता तो उक्त पट्टा जारी करने से पूर्व ही प्रार्थी के दादा के नाम से जारी पट्टे की जानकारी हो जाती, तथा श्रीमती केसर देवी के नाम से किये गये आवेदन पर आपत्ति प्रस्तुत कर दी जाती, परंतु सरपंच के द्वारा अप्रार्थी सं. 2 व 3 से मिलीभगत करके बिना

औपचारिकताये पूर्ण किये बाले-बाले ही पट्टा जारी कर दिया, जो वैधानिक औपचारिकताये पूर्ण किये बिना जारी किया हुआ होने से उक्त पट्टा विधि विरुद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

3(6)-उक्त पट्टा जारी करने के पूर्व तत्कालीन ग्राम पंचायत को नियमानुसार भूमि का मौका निरीक्षण करने हेतु कमेटी गठित करके मौका रिपोर्ट मंगवाई जानी आवश्यक थी तथा मौका रिपोर्ट सकारात्मक आने पर ही उक्त पट्टे बाबत गांव के सार्वजनिक दर्शमान स्थान पर पट्टे के आवेदन संबंधित सूचना चस्पा की जाती तथा उक्त सूचना सार्वजनिक दर्शमान किये जाने के पश्चात् एक माह तक उक्त आवेदन पर आपत्तियां मांगी जाती, तत्पश्चात् ही पट्टा जारी किया जाता, परंतु तत्कालीन सरपंच के द्वारा ऐसा नहीं करके बाले-बाले ही पट्टा जारी कर दिया, जिसके कारण उक्त निगरानीधीन पट्टे के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी, और उक्त पट्टा बिना कोई सूचना चस्पा किये एवं नियमानुसार औपचारिकताये पूर्ण किये बिना जारी किया हुआ होने से उक्त निगरानीधीन पट्टा निरस्तनीय है।

3(7)-अप्रार्थी सं. 2 व 3 के द्वारा उक्त पट्टे दस्तावेजों का वैधानिक रूप से पुराने समय में जारी किये हुए होने बताने के लिये उक्त पट्टे को केसरी देवी के स्वर्गवास के पश्चात् पश्चातवर्ती तारीखों में सरपंच से मिली भगत करके जारी करवाया, इसी कारण उक्त पट्टे के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई मिसल रेकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी के द्वारा निगरानीधीन पट्टे से संबंधित दस्तावेज प्राप्त हेतु नगरपालिका डेगाना में आवेदन करने पर यह ज्ञात हुआ कि नगरपालिका डेगाना में जब ग्राम पंचायत गोरेडीचांचा के पट्टों से संबंधित रेकॉर्ड का हस्तान्तरण नहीं हुआ है, यानि की नगरपालिका डेगाना निगरानीधीन पट्टे की कोई मिसल उपलब्ध नहीं है, अर्थात् तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत गोरेडीचांचा के द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व किसी भी प्रकार की मिसल का संधारण नहीं किया और पश्चातवर्ती तारीखों में पट्टे के प्रारूप में पट्टा जारी कर दिया। जबकि इस बाबत न तो आवेदन पत्र, मौका रिपोर्ट, आवेदित क्षेत्र का नक्शा, राशि जमा की रसीद तथा आपत्तियां आमन्त्रित करने बाबत नोटिस चस्पानगी का कोई भी दस्तावेज संलग्न नहीं है। यहां तक कि पट्टे में वर्णित ग्राम पंचायत का संकल्प (प्रस्ताव) भी प्रस्ताव रजिस्टर में उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि तत्कालीन सरपंच, गोरेडी चांचा ने अप्रार्थी सं. 2 व 3 से मिली भगत करके प्रार्थी के दादा के नाम से जारी पट्टा सुदा भूमि को हडप करने के उद्देश्य से उक्त निगरानीधीन पट्टा प्राप्त किया है, जो अपास्त किये जाने योग्य है।

3(8)-हाल ही में अप्रार्थी सं. 2 व 3 के द्वारा प्रार्थी की पुश्तैनी पट्टासुदा भूमि पर दुकानों का निर्माण कार्य करवाना प्रारंभ किया, तब प्रार्थी ने निर्माण कार्य करने से रोका और उन्हें पूछा की आपको उक्त भूखण्ड पर निर्माण करने ईजाजत मेरे द्वारा नहीं दी गई है, तो आप निर्माण कार्य नहीं करवा सकते हो। तब अप्रार्थी सं. 2 व 3 के द्वारा प्रार्थी को यह बताया गया कि हमने सरपंच से मिली भगत करके पट्टा प्राप्त कर लिया है, अब यह भूमि तुम्हारी नहीं रही है, इसलिये हमारे कार्य में दखल अंदाजी मत करो, हम तो निर्माण करवाके ही रहेंगे। इस प्रार्थी ने नगरपालिका डेगाना में अप्रार्थी सं. 2 व 3 के द्वारा बताये गये तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने हेतु नगरपालिका डेगाना में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन किया गया, तब दिनांक 24.06.19 को प्रार्थी को निगरानीधीन पट्टे की जानकारी प्राप्त होने पर प्रार्थी को यह ज्ञात हुआ कि अप्रार्थी सं. 2 व 3 के द्वारा प्रार्थी की पुश्तैनी पट्टासुदा भूमि में स्थित मकान की पश्चिमी दिशा में रिक्त पडी भूमि का तत्कालीन सरपंच गोरेडी चांचा से मिली भगत करते हुए पट्टा प्राप्त कर लिया, जो पट्टा पूर्णतया फर्जी एव कूटरचित है, जो नियमों के विपरीत जारी किया हुआ है, जो कानूनन निरस्तनीय है।

3(9)-प्रार्थी के द्वारा अपनी निगरानी याचिका में यह भी वर्णित किया गया था कि अप्रार्थी सं. 2 व 3 की माता के नाम से जारी पट्टा विलेख, तत्कालीन सरपंच, ग्राम पंचायत गोरेडी चांचा, पंचायत समिति डेगाना, जिला नागौर से मिली भगत करके पूर्ववर्ती तारीखों में जारी किया हुआ है। जिसकी न तो कोई मिसल संधारित की गई है, न ही प्रस्ताव रजिस्टर में इसका इन्द्राज है। मात्र पट्टे पर तत्कालीन सरपंच के द्वारा मोहर लगाकर फर्जी मिसल नंबर एवं फर्जी पट्टा नंबर अंकित कर पट्टा जारी किया गया है, जिसके पुष्टि नगर पालिका डेगाना अप्रार्थी सं. 1 के द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किये गये रेकॉर्ड से होती है। अप्रार्थी सं. 1 के द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष जो रेकॉर्ड प्रस्तुत किया गया है, उसमें मात्र पट्टे की एक प्रति ही है, इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार का कोई रेकॉर्ड नगर पालिका के यहां जमा नहीं होना, अपने जवाब में वर्णित किया गया है, इससे यह तथ्य भली भांति साबित होता है कि राज. पंचायत राज अधि. 1996 के नियम 146 से 152 में पट्टा जारी करने की जो प्रक्रिया वर्णित की गई है, उसका पालन तत्कालीन ग्राम पंचायत गोरेडीचांचा के द्वारा नहीं किया गया था, उक्त नियमों के अनुसार नियम 146 में प्रार्थना पत्र देना उसके साथ नक्शा संलग्न करना, इस बाबत राशि जमा करना तत्पश्चात् नियम 147 के अनुसार उक्त प्रार्थना पत्र को ग्राम सेवक के द्वारा रजिस्टर्ड सं. 21 में इन्द्राज करना तत्पश्चात् ग्राम सेवक के द्वारा उक्त समस्त कार्यवाही को पंचायत की आगामी बैठक में रखना और उक्त बैठक में मौका स्थल का निरीक्षण करने हेतु तीन वार्ड पंचान की कमेटी गठित करना, उक्त पंचान की कमेटी से आशय की रिपोर्ट प्राप्त होना कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि गांव के किसी सार्वजनिक कार्य हेतु उपयोग व उपभोग में नहीं जा रही है, उक्त भूमि से गांव के किसी भी व्यक्ति का सुखाधिकार प्रभावित नहीं हो रहा है, उक्त भूमि किसी रास्ते के उपयोग में नहीं आ रही है, इस प्रकार की सकारात्मक रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् उसे पुनः पंचायत की

बैठक में रखी जाकर उक्त भूमि के पटटे देने बाबत 15 दिवस की आपति आमत्रित प्रस्तुत करने हेतु नोटिस देने के पश्चात किसी भी प्रकार की आपति नहीं प्रस्तुत होने पर निर्धारित शुल्क लेकर पटटा जारी किया जाना नियमों में वर्णित किया गया है, किन्तु तत्कालीन सरपंच एवं ग्राम सचिव के द्वारा उक्त प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और उक्त पटटे का न तो मिसल संधारित की गई और न ही इसका किसी प्रस्ताव रजिस्टर में इन्द्राज किया गया, इस प्रकार यह तथ्य भली भांति साबित है कि उक्त पटटा नियमों को दरकिनार करते हुए अनियमित तरीके से जारी किया हुआ है। माननीय राज. उच्च न्यायालय जोधपुर के द्वारा रिट याचिका सं. 14332/2015 नारायणलाल बनाम राज. राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 13.04.17 में यह स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि किसी भी पटटे को जारी करने में ग्राम पंचायत के द्वारा नियमों का पालन नहीं किया गया है और अनियमित तरीके से पटटा जारी किया गया है तो वह पटटा निरस्तनीय है। निगरानी में वर्णित पटटे में भी किसी भी प्रकार के नियमों का पालन नहीं किये जाने से अप्रार्थी सं. 2 व 3 की माता के नाम से जारी पटटा निरस्तनीय है। इसके साथ ही माननीय राज. उच्च न्यायालय के द्वारा यह भी सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि पटटासुदा भूमि का दुबारा पटटा जारी करने का अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं है। उक्त निगरानीधीन पटटा भी प्रार्थी के दादा के नाम से जारी पटटे का दुबारा पटटा जारी किया हुआ होने से निरस्तनीय है।

3(10)—वकील प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि नियम 146 से 152 के कानूनी बिन्दुओं पर जांच कर निर्णय हेतु प्रकरण न्यायालय हाजा को रिमाण्ड किया गया है। नियम 157 (ख) के अन्तर्गत 300 वर्ग गज तक का ही पुराना घर को नियमन किया जा सकता है। जबकि पटटा जैर निगरानी 495 वर्ग गज का है। उक्त भूमि आपसी बातचीत की प्रक्रिया से विक्रय की गई है। जिसके लिये उप पंजीयक से भूमि की बाजार दर लेकर अथवा नीलामी से निस्तारण किया जाना चाहिये था। जो नहीं किया गया है। आराजी भूमि ग्राम पंचायत की भूमि नहीं थी तथा उसका पहले से ही पटटा प्रार्थी के दादा गंगाधर के नाम का दिनांक 24.03.53 को तहसीलदार मेडता द्वारा जारी किया हुआ प्रभावी रहते हुए उसी भूमि का दूसरा पटटा जारी नहीं किया जा सकता है। पटटा जैर निगरानी 300 वर्ग गज से ज्यादा भूमि का होने से ऐसी भूमि पटटे पर दिये जाने से पूर्व विकास अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक होते हुए भी नहीं ली गई है। पंचायत राज नियम 1996 के नियम 146 से 152 के प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। अप्रार्थी प्रार्थी के दादा के समय से उनकी सहमति से आराजी भूमि पर रहे थे। जिसके आधार पर उन्हें कोई स्वतः अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। इस भूमि को लेकर दीवानी वाद भी सिविल कोर्ट में लंबित है। ऐसी स्थिति में पटटा जैर निगरानी विधि विरुद्ध होने से निरस्त किया जाना चाहिये तथा अपने कथन के समर्थन में डीएनजे (राज.) 2010(3) पेज 1147 से 1151, डीएनजे (राज.) 2020(1) पेज 201 से 204, डीएनजे (राज.) 2020(1) पेज 199 से 201, डीएनजे (राज.) 2019(2) पेज 570 से 575, 2016(1) डीएनजे (राज.) पेज 216 से 220, 2016(3) डीएनजे (राज.) पेज 1202 से 1205, 2009(1) पेज 609 से 614, 2009(1) पेज 262 से 267, आरआरटी 2012(2) पेज 1265 से 1267, 2017(2) डीएनजे (राज.) पेज 730 से 733, 2017(2) डीएनजे (राज.) पेज 668 से 671, आरआरटी 2015(1) डीएनजे (राज.) पेज 443 से 448, 2018(1) डीएनजे (राज.) पेज 111 से 113 तथा राजस्थान पंचायत राज अधिनियम पेज 43 से 44 नजीरे पेश की।

4— वकील अप्रार्थी सं. 2 व 3 ने अपनी बहस में बताया कि —

4(1)—आराजी भूमि प्रार्थी की पुश्तेनी व उसके दादा गंगाधर महेश्वरी के नाम से होने का कथन सर्वथा गलत है तथा प्रार्थी के दादा के यहां अप्रार्थी सं. 2 व 3 की माता केसर देवी घरेलु कार्य करती थी। इसलिये उसके दादा ने केसर देवी को रहवास हेतु उक्त पटटासुदा भूखण्ड में से सड़क की तरफ का भूखण्ड रहने के लिये दिया गया हो, यह गलत होने से अस्वीकार है।

4(2)—प्रार्थी ने आज से करीबन 20 वर्ष पहले जारी हुए पटटे को इस निगरानी के माध्यम से चुनोती दी है जो निगरानी प्रथम दृष्टया मियाद बाहर होने के कारण केवल मात्र इस आधार पर ही खारिज किये जाने योग्य है। यहां पर यह कथन करना प्रासंगिक रहेगा कि उक्त प्रार्थी जो डेगाना का निवासी है तथा वादग्रस्त भूमि के पास ही अपना मकान होना बता रहा है, वादग्रस्त भूमि पर अप्रार्थी सं. 1 व 2 का अपने माता पिता के जीवन काल से पिछले करीबन 70-80 सालों से ज्यादा समय से निरंतर शांति पूर्वक कब्जा है। विदित रहे कि उक्त जायगा के एक हिस्से पर पुराना मकान बना हुआ है तथा कुछ हिस्से पर जो नव निर्माण किया जा रहा है वह नव निर्माण पिछले 6-7 माह से ज्यादा समय से मौके पर चल रहा है। ऐसी स्थिति में जब अप्रार्थी सं. 2 व 3 व उसके माता पिता का वादग्रस्त भूमि पर पिछले 70-80 वर्षों से शांतिपूर्वक रहवास व स्वामित्व है जो एलानियां तौर पर डेगाना के हर वासी को पता है तो ऐसी स्थिति में अप्रार्थी सं. 2 द्वारा निर्माण कार्य शुरू करने पर प्रार्थी को उक्त पटटे की सर्वप्रथम जानकारी होने का कथन पूर्णतया कपोल कल्पित व झूठा कथन है जिस पर कतई विश्वास नहीं किया जा सकता। उक्त जायगा पर जो मकान बना हुआ है उस मकान पर वर्ष 1989 से विद्युत कनेक्शन अप्रार्थी सं. 2 व 3 के पिता के नाम से तथा जल कनेक्शन अप्रार्थी सं. 2 व 3 की माता के नाम से तथा टेलीफोन कनेक्शन अप्रार्थी सं. 3 के नाम से मौके पर लगा हुआ है।

4(3)—वादग्रस्त भूमि का पटटा जारी होने के पश्चात इसका एक वसीयतनामा अप्रार्थी सं. 2 व 3 की माता ने

अप्रार्थी सं. 2 व 3 के हक में लिखा उसके पश्चात उक्त वसीयतनामा के आधार पर नामान्तरकरण नगरपालिका मंडल डेगाना द्वारा अप्रार्थी सं. 3 के हक में जरिये आदेश क्रमांक नपा/डेगाना/2018-19/1295 दिनांक 11.1.19 के द्वारा स्वीकृत हुआ है। इस प्रकार से वादग्रस्त भूमि के संबंध में जो भी दस्तावेजात है वह अप्रार्थी सं. 2 व 3 के पास वैध उचित साधिकार एवं प्रभावपूर्वक है।

4(4)—इस प्रकार से प्रार्थी को उक्त पट्टे के बारे में जारी होने की तिथि से लेकर आज दिन तक जानकारी रही है यहां तक कि नगरपालिका डेगाना में जो नामान्तरकरण की कार्यवाही हुई उसमें भी सार्वजनिक रूप से आपत्ति—विज्ञप्ति जारी हुई थी उस समय भी किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्रार्थी द्वारा नहीं की गई है।

4(5)—उक्त प्रकरण में मौके पर जो निर्माण कार्य हो रहा है 70-80 वर्षों से भी पहले से ही पुराना हो रहा है जिसमें समय समय पर नव निर्माण एवं मरम्मत की जाती रही है, हाल ही में इस नव निर्माण की अनुपालना में मौके पर जो निर्माण कार्य हो रहा है जो पिछले 6-7 माह से ज्यादा समय से हो रहा है। इस अवधि में प्रार्थी द्वारा कही पर भी कोई शिकायत आपत्ति नहीं की गई है जो निर्माण कार्य भूतल का पूर्ण होकर प्रथम मंजिल की छत डल रही है उस समय अचानक प्रार्थी का बोलना इस बात का स्पष्ट द्योतक है कि प्रार्थी येनकेन प्रकारेण अप्रार्थी सं. 2 व 3 को तंग व परेशान करने में लगा हुआ है। महज में तंग व परेशान करने के उद्देश्य से उक्त कार्यवाही अप्रार्थी सं. 2 व 3 विरुद्ध पेश की है। जो प्रथम दृष्टया खारिज किये जाने योग्य है।

4(6)—अभ्यस्ता के सिद्धान्त के आधार पर भी प्रार्थी का उक्त आवेदन पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

4(7)—निगरानी में किसी प्रकार का कोई निर्माण संबंधी यथास्थिति बाबत विधि अनुसार कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता।

4(8)—उक्त प्रकरण में पट्टा जारीकर्ता ग्राम पंचायत डेगाना को पक्षकार नहीं बनाया है। इसलिये पक्षकारों के असंयोजन के आधार पर उक्त निगरानी खारिज किये जाने योग्य है।

4(9)—उक्त प्रकरण में भूमि की कीमते बढ़ जाने पर नाजायज रूप से कब्जा करने के उद्देश्य से व्यक्ति विशेष के इशारों पर इस प्रकार के कार्यवाही किये जाने का प्रचलन बढ़ा है। जिसकी परिणति यह निगरानी है।

4(10)—उक्त प्रकरण में प्रार्थी की ओर से जो लिखित बहस प्रस्तुत की गई है वह लिखित बहस की परिभाषा में नहीं आती। क्योंकि बहस में तो केवल विवाद के बिन्दु उठाये जाते हैं और ऐसे विवाद के बिन्दुओं के लिये किसी भी पक्ष को क्या कहना है यह स्पष्ट किया जाता है। जबकि प्रार्थी द्वारा जो लिखित बहस प्रस्तुत की गई है उस बहस में केवल मात्र निगरानी के तथ्यों की पुनरावृत्ति मात्र की गई है जो केवल मात्र न्यायालय हाजा को गुमराह करने के अलावा कुछ भी नहीं है।

4(11)—निगरानी में केवल मात्र किसी प्रस्ताव एवं आदेश की वैधता, शुद्धता एवं औचित्यता को देखा जाता है। तथ्यों पर कोई निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता। हस्तगत प्रकरण में जो पट्टा जारी हुआ है, उसके लिये जो प्रस्ताव एवं आदेश हुए हैं उनमें क्या अवैधता है, क्या शुद्धता है एवं क्या औचित्यता नहीं है, को देखा जाना है। इस संबंध में प्रार्थी की ओर से लेस मात्र ऐसी विधिक व्यवस्था नहीं बतायी गई है जिसके कारण उक्त पारित प्रस्ताव एवं आदेश के संबंध में कोई अवैधता हो।

4(12)—प्रार्थी पक्ष की ओर से पंचायती राज अधिनियम 1994 के अन्तर्गत बने नियम 1996 के नियम 146 से 152 तक में वर्णित कौनसे प्रावधानों की पालना हस्तगत पट्टा जारी करने में नहीं हुई है, के बारे में किंचित मात्र भी वर्णन नहीं है। जब ऐसा कोई वर्णन नहीं है तो यह कैसे मान लिया जावे कि उक्त पट्टा जारी करने के संबंध में किन्ही नियमों की पालना नहीं हुई है। यहां पर यह कथन करना भी प्रासंगिक रहेगा कि एक तरफ तो प्रार्थी यह बात कह रहा है कि उक्त पट्टा जारी करने के संबंध में नियम 146 से 152 की पालना नहीं होना बताया गया है। यह दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती। क्योंकि बकोल प्रार्थी के जब मिसल का अस्तित्व नहीं है और मिसल ही नहीं तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी को इस बात का कैसे आभास हो गया कि नियम 146 से 152 की पालना नहीं हुई है। यह केवल मात्र प्रार्थी धूल में लट्ट मार रहा है। इस आधार पर यह बखूबी साबित है कि उक्त पट्टा जारी होने के संबंध में विधि की तमाम प्रक्रियाओं की पालना हुई है। इसलिये उक्त पट्टे को किसी भी रूप या प्रकार से खारिज नहीं किया जा सकता।

4(13)—उक्त प्रकरण में बड़ी ही हास्यास्पद स्थिति है कि लिखित बहस में प्रार्थी राज. पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 146 से 152 की व्याख्या करके न्यायालय हाजा को गुमराह करने का ऐसा प्रयास किया है कि जैसे सारा पट्टा ही फर्जी जारी हो रहा है। वस्तुतः इस मद में प्रार्थी ने उक्त नियमों में क्या व्यवस्था दे रखी है उसका उल्लेख कर दिया है, परंतु उस दी गई व्यवस्था में से किन नियमों की पालना हस्तगत पट्टा जारी होने के संबंध में नहीं हुई है, के बारे में लेस मात्र भी अंकन नहीं है। ऐसा अंकन हो भी कैसे सकता है जब बकोल प्रार्थी के उक्त पट्टा की उसे मिसल नहीं मिली है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी क्या भगवान है जो छड़ी घुमाकर ऐसे नियमों की पालना नहीं होने के बारे में जानकारी कर लेगा।

4(14)—उक्त प्रकरण में जो विषय वस्तु विवाद की लेकर आया है वह विषय वस्तु निगरानी की विषय वस्तु नहीं हो सकती। क्योंकि प्रार्थी एक भू भाग के स्वामित्व के विवाद को लेकर न्यायालय हाजा के समक्ष आया है ऐसे

स्वामित्व का विवाद जैसे कि क्या प्रार्थी का पट्टा वादग्रस्त भूमि का है, क्या उक्त भूमि प्रार्थी के स्वामित्व की रही है एवं क्या उक्त भूमि प्रार्थी के बडेरो के द्वारा अप्रार्थी सं. 2 व 3 के बडेरो को दी गई थी, यह सभी ऐसे प्रश्न हैं जिनका निस्तारण दीवानी न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है। इनका निस्तारण न तो निगरानी की विषय वस्तु हो सकती है एवं न ही ऐसे प्रश्नों को निगरानी में तय किया जा सकता है।

4(15)—उक्त निगरानी की जो विषय वस्तु है उसके लिये तो धारा 34, 37 व 38 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1965 के अन्तर्गत दीवानी न्यायालय ही अपना कोई निष्कर्ष दे सकते हैं, निगरानी में इस बिन्दु पर कोई निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता।

4(16)—उक्त जायगा पर जो मकान बना हुआ है उस मकान पर वर्ष 1989 से विद्युत कनेक्शन अप्रार्थी सं. 2 व 3 के पिता के नाम से तथा जल कनेक्शन अप्रार्थी सं. 2 व 3 की माता के नाम से एवं टेलीफोन कनेक्शन अप्रार्थी सं. 3 के नाम से मौके पर लगा हुआ है।

4(17)—वकील अप्रार्थी द्वारा तर्क दिया गया है कि जब पट्टा जारी करने से संबंधित पत्रावली नहीं है तो इसके लिये जिम्मेदारी किसकी है। पंचायत राज नियम 1996 की धारा 146-152 के किस प्रावधान की पालना नहीं हुई हो, रिकॉर्ड के अभाव में अभिनिर्णीत नहीं किया जा सकता है। नियम 157 के तहत बातचीत द्वारा भूमि विक्रय की स्थिति में उप पंजीयक से बाजार दर लिये जाने के कोई प्रावधान नहीं है। उनका आराजी पर पुराना मार्केट है तथा 300 गज से अधिक भूमि का पट्टा बनाये जाने पर विकास अधिकारी से पूर्व अनुमति लिया जाना आवश्यक हो, ऐसे कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। अप्रार्थी का आराजी स्थल का 20 वर्ष पुराना पट्टा है। जहां बिजली, पानी का कनेक्शन है तथा निर्माण कार्य भी करवाया गया है। प्रार्थी द्वारा बताया जा रहा पट्टा 1122.63 वर्ग गज का है। जबकि आराजी पट्टा 455 वर्ग गज का है। इस संबंध में इसी भूमि का दुबारा पट्टा बन गया हो, तो ऐसे स्वामित्व विवाद सिविल न्यायालय द्वारा ही तय किये जा सकते हैं तथा अपने कथन के समर्थन में डीएनजे 2012(2) पेज 602 से 607, डीएनजे 2009(1) पेज 194 से 195, डीएनजे 2008(2) पेज 735 से 741, आरबीजे 2012 पेज 686 से 688, आरआरडी 2011 पेज 228 से 231, आरबीजे 2011 पेज 352 से 353, आरबीजे 2010 पेज 289 से 294, आरबीजे 2010 पेज 628 से 641, आरआरडी 2009 पेज 150 से 158, आरआरडी 2009 पेज 661 से 670, आरआरडी 2008 पेज 817 से 820, डीएनजे 2003 पेज 1266 से 1271, आरआरडी 2002 पेज 26 से 30 तथा आरआरडी 2001 पेज 35 से 36 नजीरे पेश की।

5— वकील अप्रार्थी सं. 1 ने अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका डेगाना की ओर से बहस करते हुए बताया कि ग्राम पंचायत गोरेडी चांचा द्वारा पट्टा जैर निगरानी जारी किया गया है। उक्त क्षेत्र नगरपालिका डेगाना गठित हो जाने से वर्तमान में नगरपालिका क्षेत्र में स्थित है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा नगरपालिका को सुपुर्द किया गया है। जो विधिअनुसार सही है एवं विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए जारी किये गये पट्टे पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। इसलिये प्रार्थी की निगरानी निरस्त की जानी चाहिये।

6— पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत गोरेडी चांचा पंचायत समिति डेगाना की मिसल सं. 396/2001-02 दायर दिनांक 05.04.01 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की माता केसर देवी के पक्ष में जारी पट्टा सं. 125 दिनांक 24.12.2001 जारी किया गया है, को निरस्त किये जाने को लेकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। प्रस्तुत निगरानी के मामले में स्थल विवादित नहीं है तत्कालीन जिला कलक्टर नागौर की मिसल सं. 69/51-52 दिनांक 25.01.1953 मिलने पर फीस ली जाकर नियमानुसार पट्टा सं. 302/52-53 दिनांक 25.03.53 को तत्कालीन तहसीलदार मेडता द्वारा श्री गंगाधर पुत्र कन्हैयालाल माहेश्वरी के नाम जारी किया गया है जिससे यह पट्टा विवादित नहीं है। इसलिये यह भूमि ग्राम पंचायत की नहीं थी अर्थात् पट्टा सं. 125 दिनांक 24.12.01 जारी करने के लिये पंचायत के पास भूमि नहीं थी। जिससे स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत ने तहसीलदार मेडता द्वारा जारी पट्टा सं. 302/1952-53 की भूमि में, पुनः पट्टे के ऊपर पट्टा सं. 125/दिनांक 05.04.01 जारी कर दिया। जो ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार में नहीं था तथा अवैध है। पट्टा सं. 125 जैर निगरानी नियम 157 ख के तहत जारी किया गया है। जो ओल्ड हाउस के मामलो में जारी किया जाता है। अर्थात् ओल्ड हाउस रेगुलाईजेशन के मामलो में जारी किया जाता है। प्रारूप 23 के नियम 157 ख में अधिकतम 300 वर्गगज भूमि में बने ओल्ड हाउस का होना आवश्यक है न कि खाली भूखण्ड का। इस जैर निगरानी पट्टा सं. 125 में ओल्ड हाउस होने की ऐवीडेन्स नहीं है तथा खाली भूखण्ड 495 वर्गगज का पट्टा जारी किया गया है। जो नियम 157 ख से कवर नहीं होता है। पंचायत एक्ट 1996 के दिनांक 30.12.96 से बेक 50 वर्षों में बने ओल्ड हाउस का कब्जा अपने स्वत्व की जमीन पर बने होने से है। श्रीमती केसर देवी पत्नी जवाहरलाल शर्मा का इस संबंध में किसी तरह का नक्शा, मकान का नाप तथा स्वत्व कब से है तथा पंचायत के सदस्यों की रिपोर्ट का हवाला पट्टे की पुस्त पर दर्ज नहीं है। निगरानी अनुसार श्री गंगाधर ने अपने नौकर को अपना कमरा रहने के लिये दिया जो उसकी नौकरी खत्म होने पर खाली होना था, ऐसे पजेशन को स्वत्व का पजेशन नहीं माना जा सकता तथा ऐसे राईट का कब्जे के आधार पर कोई दावा नहीं किया जा सकता है। यह स्पष्ट है कि तहसीलदार मेडता द्वारा जारी पट्टा होने से स्वामित्व का कोई विवाद नहीं है ऐसी भूमि का कब्जा बताकर नियमन नहीं करवाया जा सकता है। जैर निगरानी

पट्टा सं. 125 पर संकल्प सं. 8(xiv) दिनांक 5.12.01 दर्ज है तथा पट्टा दिनांक 24.12.01 को जारी किया गया है जो एक माह की अवधि से पहले ही जारी किया गया है। विधि अनुसार पंचायत प्रस्ताव से एक माह के भीतर किसी तरह से कोई पट्टा जारी किया ही नहीं किया सकता तथा पट्टे का अवलोकन करने से साफ जाहिर है कि ओल्ड हाउस की कोई लंबाई चौड़ाई व कच्चा पक्का मकान की साईज आदि नहीं बतायी गयी है और न ही ऐसी कोई फर्द का अंकन है। पट्टे के पेरा सं. 2 में उक्त भूमि को 200 रु. की बाजार दर पर बातचीत के द्वारा बेचा गया दर्ज है। बातचीत से बेचने से पूर्व पंचायत को कारण सहित यह निर्णय करना होगा कि नीलामी में राशि कम मिलेगी। इसलिये बातचीत के द्वारा बेचा गया है और आपसी बातचीत से विक्रय के लिये भी पंचायत प्रस्ताव दर्ज दिनांक से एक माह का सार्वजनिक नोटिस देना कानूनी आवश्यक है फिर नीलामी कमेटी द्वारा आपसी बातचीत या नीलामी की जायेगी जिसमें सब रजिस्ट्रार का इन्डेक्स भी तय होगा व उस इन्डेक्स व बाजार दर का अनुमोदन भी करवाया जावेगा, पट्टे पर ऐसी कोई इबारत दर्ज नहीं है तथा आपसी बातचीत द्वारा भूमि विक्रय करने की कोई कार्यवाही की गयी, ऐसा दर्ज नहीं है तथा श्रीमती केसरदेवी का कब से कब, इस भूमि पर किस प्रकार से स्वत्व होकर पंजेशन में है यह भी दर्ज नहीं किया गया है तथा भूखण्ड पर पुराने मकान के अस्तित्व में होने की साक्ष्य नहीं है। पट्टा सं. 125 क्षेत्रफल 300 वर्गगज से अधिक का है तथा खाली भूमि का जारी किया गया है। जिससे साफ जाहिर है कि सरपंच ने सीधा एक मात्र पट्टा फार्म पर बिना किसी आधार के 495 वर्गगज भूमि को मात्र 200 रु. में विक्रय की है जो 300 वर्गगज से अधिक है जिसके लिये सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त नहीं की है व स्वीकृति का कोई अंकन पट्टे पर दर्ज नहीं है तथा पट्टे पर पुराने निर्मित मकान का हवाला नहीं है तथा नियम 157 ख में खुले भूखण्डों का नियमितिकरण अनुज्ञेय नहीं है तथा रूल्स 146 से 152 के उल्लंघन में जारी पट्टा अधिनियम की धारा 97 के अधीन रद्द किया जा सकता है तथा पंचायत राज एक्ट के तहत कानूनी नियमों की आज्ञापक शर्तों व आज्ञापक नियमों की पालना नहीं की गयी है। दूसरे में जब तक पंचायत नियम 156 की शर्तें पूरी नहीं हो जाती तब तक आपसी बातचीत से आबादी भूमि नहीं बेची जा सकती है तथा 50 वर्षों से श्रीमती केसरदेवी का कब्जा होना साबित नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा पत्रावली खोली जाकर नियमानुसार पट्टा जारी किया गया हो, ऐसा कोई रेकॉर्ड नगरपालिका डेगाना में जमा कराना नहीं पाया गया है। अप्रार्थी सं. 1 के अनुसार सिर्फ पट्टा ही जमा हुआ है। जिससे स्पष्ट है कि यदि ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी पट्टा सं. 125 के बाबत कोई पत्रावली खोली जाती तो वह पट्टे के साथ अवश्य जमा करवायी जाती जिससे स्पष्ट है कि बिना पत्रावली खोले पट्टा बुक में से ग्राम पंचायत गोरेडी चांचा तहसील डेगाना के तत्कालीन सरपंच द्वारा सिर्फ पट्टा में खानापूर्ति करवा कर जैर निगरानी पट्टा सं. 125 दिनांक 24.12.01 अपने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर पट्टे के ऊपर पट्टा जारी किया जाना पाया जाता है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचानुसार निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है।

7- अतः प्रार्थी की निगरानी स्वीकार की जाकर सरपंच ग्राम पंचायत गोरेडी चांचा पंचायत समिति डेगाना द्वारा जारी पट्टा सं. 125 दिनांक 24.12.01 अवैध होने से खारिज किया जाता है।

8- निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल खटनावलिया)
अपर कलक्टर, नागौर